न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा

मि0नं0 157/2025 | तारीख दायरा 29.09.2025 | तारीख फैसला 17/12/25

पीठासीन अधिकारी– दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1– रामबिलासी बाई उर्फ बनास बाई बेवा रामचन्द्र जाति मीणा निवासी जय हिन्द नगर पुलिस लाईन कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा । **(वादी)**

बनाम

1– राज0सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0 **(प्रतिवादी)**

वादी की ओर से – श्री हरिशंकर मेघवाल एडवोकेट

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89, आर.टी.एक्ट ,बाबत नाम दुरूस्ती</u>

–:: निर्णय ::–

वदीया ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

1– यह कि ग्राम बमूली तहसील दीगोद जिला कोटा में वादनी के शामलाती खातें मे खसरान नम्बर की भूमी दर्ज चली आ रही है। जिसमे वादनी 1/54 हिस्से के खातेदार दर्ज है नकल जमाबन्दी सम्मत 2074 2077 संलग्न है। आराजी खसरा न0 134 रकबा 0.24 है0 खसरा न0 149 रकबा 0.12 है० खसरा न0 158 रकबा 0.18 है० खसरा न0 319 रकबा 0.11 हे० खसरा न0 338 रकबा 0.12 हे० खसरा न0 415/187 रकबा 0.01 है० खसरा न० 416/343 रकबा 4.33 है० कुल 7 किता रकबा 5.11 है0 भूमी दर्ज चली आ रही है।

2–यह कि वादनी का नाम नामा० दर्ज करते समय घर पर बोलते नाम बनास बाई के नाम दर्ज कर दिया गया है जब कि वादनी का वास्तविक नाम रामबिलासी बाई है तथा समस्त दस्तावेजो मे भी वादनी का नाम राम बिलासी बाई है जिसमे वादनी को सरकारी योजनाओ में किसान केडिड कार्ड आदि लेने में परेशानी आ रही है जिसे दुरुस्त किया जाना आवश्यक है।

3–यह कि उक्त वादनी का नाम आधार कार्ड, पहचान पत्र राशन कार्ड, पेन कार्ड बैंक डायरी आदि मे वादनी का नाम रामबिलासी बाई है वादनी का नाम ग्राम बमूली की जमाबन्दी मे बनास बाई होने से सरकारी योजनाओ का लाभ व भूमी सुधार के लिये किसान केडिड कार्ड लेने से वचिंत हो रही है वादनी को दस्तावेजो के आधार पर अपना नाम दुरुस्त कराने का कानून अधिकार है इस लिये वादनी का नाम दुरुस्त किया जाना आवश्यक है।

4–यह कि प्रतिवादी के कर्मचारियो द्वारा उपरोक्त भूमी के राजस्व रिकार्ड मे वादनी का नाम बनास बाई के स्थान पर रामबिलासी बाई दर्ज कर दिया है जो गलत है उपरोक्त कारण से

राजस्व रिकार्ड मे वादनी का नाम बनास बाई के स्थान पर रामबिलासी बाई दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जाना आवश्यक है इस सम्बन्ध मे वादनी ने प्रतिवादी से दिनांक 17/08/2025 को निवेदन करने पर उन्होने कोई ध्यान नही दिया और मना कर दिया जिस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

5–यह कि वाद कारण दिनांक 17/08/2025 को उत्पन्न हुआ जब कि प्रतिवादी ने उपरोक्त भूमी के राजस्व रिकार्ड मे वादनी का नाम दुरुस्त नही करने की कहने पर पैदा हुआ ।

अतः– वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम बमूली तहसील दीगोद जिला कोटा मे वादनी के शामलाती खातें मे खाता संख्या 8 खसरा न0 134 रकबा 0.24 है० खसरा न0 149 रकबा 0.12 है० खसरा न० 158 रकबा 0.18 है० खसरा न० 319 रकबा 0.11 हे० खसरा न० 338 रकबा 0.12 हे० खसरा न0 415/187 रकबा 0.01 है० खसरा न0 416/343 रकबा 4.33 है। कुल 7 किता रकबा 5.11 है० वाके ग्राम बमूली तहसील दीगोद जिला कोटा में भूमी स्थित चली आ रही है। जिसमे वादनी का नाम बनास बाई के स्थान पर रामबिलासी बाई दर्ज किये जाने और राजस्व रेकार्ड मे दुरुस्त किये जाने की प्रतिवादी के विरुद्ध आज्ञा व डिकी पारित की जावे।

वादीगण की ओर से निम्न लिखित दस्तावेज वाद पत्र के साथ संलग्न किये हैः–

1– नकल जमाबन्दी सवंत् 2074–2077 ग्राम बमूली खाता सं0नया 8

2– नकल छाया प्रति मतदाता पहचान पत्र

3– नकल छाया प्रति आधार कार्ड

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण को साक्ष्य में नियत किया गया। साक्ष्य PW1 में वादीनी द्वारा स्वयं का शपथ पत्र पूर्व में शामिल मिसल है। तत्पश्चात पत्रावली को बहस पर नियत किया गया। बहस वादी के अधिवक्ता की सुनी गयी। वादी के अधिवक्ता ने प्रस्तुत वाद पत्र के बिन्दुओं को दोहराया।

प्रकरण मे बहस के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध जवाब सरकार, दस्तावेजात के आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन उपरान्त हम इस निष्कार्ष पर पहुंचे है कि प्रस्तुत प्रकरण में वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने योग्य है अतः वादनी का नाम बनास बाई के स्थान पर बनास बाई उर्फ रामबिलासी बाई किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में ग्राम ग्राम बमूली तहसील दीगोद जिला कोटा मे वादनी के शामलाती खातें मे खाता संख्या 8 खसरा न0 134 रकबा 0.24 है० खसरा न0 149 रकबा 0.12 है० खसरा न० 158 रकबा 0.18 है० खसरा न० 319 रकबा 0.11 हे० खसरा न० 338 रकबा 0.12 हे० खसरा न0 415/187 रकबा 0.01 है० खसरा न0 416/343 रकबा 4.33 है। कुल 7 किता रकबा 5.11 है भूमि में वादनी का नाम बनास बाई के स्थान पर बनास बाई उर्फ रामबिलासी बाई दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक   को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1– रामबिलासी बाई उर्फ बनास बाई बेवा रामचन्द्र जाति मीणा निवासी जय हिन्द नगर पुलिस लाईन कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

(वादी)

बनाम

1– राज0सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से – श्री हरिशंकर मेघवाल एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89, आर.टी.एक्ट ,बाबत नाम दुरूस्ती

मिसल नं 157 / 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादीगण व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में ग्राम ग्राम बमूली तहसील दीगोद जिला कोटा मे वादनी के शामलाती खातें मे खाता संख्या 8 खसरा न0 134 रकबा 0.24 है० खसरा न0 149 रकबा 0.12 है० खसरा न० 158 रकबा 0.18 है० खसरा न० 319 रकबा 0.11 हे० खसरा न० 338 रकबा 0.12 हे० खसरा न0 415 / 187 रकबा 0.01 है० खसरा न0 416 / 343 रकबा 4.33 है। कुल 7 किता रकबा 5.11 है भूमि में वादनी का नाम बनास बाई के स्थान पर बनास बाई उर्फ रामबिलासी बाई दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक 17/12/25 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपयै	पैसे	मुदालयह	रूप्ये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद